(ख) विभाग ने निम्नलिखित की शुरुआत करने की भी योजना बनाई है :-

(i) नई प्रौद्योगिकी के स्विचों का प्रयोग करते हुए इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क (आई एस डी एन) ।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज सेवा ।

(iii) देश के कुल 69 शहरों तक सार्वजनिक डाटा नेटवर्क इनेट का विस्तार करना ।

(iv) विभाग ने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के चार शहरों में भारतीय पंजीकृत कंपनियों को सेल्यूलर मोबाइल सेवा के प्रचालन और भारत के 27 बड़े शहरों में रेडियो पेजिंग सेवा प्रदान करने के लिए विशेषाधिकार देने का निर्णय लिया है । इन सेवाओं को अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाने की योजनाएं भी बनाई गई हैं । अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए गैर विशिष्ट (नान-एक्सक्लूसिव) आधार पर विशेषाधिकार देने के लिए भारतीय पंजीकृत कंपनियों से लगातार प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है ।

TONERS IMPORTED THROUGH UNDER-INVOICING

*279. SHRI SOM PAL :

SHRI SARADA MOHANTY : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what is the progress made so far in regard to collecting the information specifically on toners imported through under-invoicing, extent of duty evasion, imports in the guise of carbon black and imports of inferior quality toners;

(b) whether any action has been taken/proposed to be taken for curbing such unlawful imports; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) to (c) No import of toners in the guise of Carbon Black has been detected. However, in some cases the value declared by the importers was enhanced for assessment of the duty.

All field formations have been alerted and have been supplied data of values from the manufacturers abroad.

विदेशी सहायता का उपयोग न किया जाना

*279-क. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

डा. विश्व कुमार जैन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 नवम्बर, 1993 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में डालर 4 बिलियन एंड "नयूट्रीलाइज्ड-शुल्क" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय सहायता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो रहा है ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त सहायता का पूर्ण उपयोग करने के लिए वर्तमान प्रणाली में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही की है, और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) :

(क) जी, हां ।

(ख) अधिकांश विदेशी सहायता विशिष्ट परियोजनाओं से सम्बद्ध होती है और इस प्रकार संवितरण परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची से जुड़े होते हैं । प्रत्येक परियोजना के वास्तविक कार्यान्वयन की गति में अंतर होता है । तथापि, किसी विशेष वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान उपयोग में न लाई गई ऋण की राशि सामान्यतः व्यपगत नहीं होती और उसे अनुवर्ती वर्षों में उपयोग के लिए अग्रेनीत कर लिया जाता है ।

(ग) और (घ) बहुत सी परियोजनाओं पर विदेशी सहायता का उपयोग अपर्याप्त रहा है । पूरक निधियों का अपर्याप्त प्रावधान प्राप्तियों में विलम्ब, भूमि अधिग्रहण की समस्याएं, विनिमय

*पूर्वतः तारांकित प्रश्न 260, 20 दिसम्बर 1993 से स्थानान्तरित ।